# RBL BANK आरबीएल बैंक लिमिटेड

प्रशासनिक कार्यालय : प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001
शाखा कार्यालय : यूनिट नं. 14-15, डीएलएफ केपीटॉल पॉईन्ट, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110001

## सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 13(2) के अंतर्गत प्रकाशन सूचना

यह सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित ऋणी(यों)/जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को जिन्होनें बैंक से ऋण/उधार सुविधाएं प्राप्त की तथा मूल धन एवं ब्याज का पुर्नभुगतान करने में चूक की तथा उनके ऋण खातों को गैर निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। उन्हें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं निर्गमित की गई थी।

| क्र. सं. | ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतदारों/बन्धककर्ता का नाम एवं पता | ऋण खाता सं. | सम्पत्तियों का विवरण/ प्रतिभूत आस्तियों का पता जो लागू है | सूचना की दिनांक | कुल बकाया रू. में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **मेसर्स राम राज क्रिएशन्स (जरिये प्रोपराईटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं)** दुकान संख्या-10, भूतल, सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर- II, नई दिल्ली - 110024<br>यहां भी: संपत्ति संख्या जे-11, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024<br>**वैभव वाधवा** (प्रोप- मैसर्स राम राज क्रिएशन्स) संपत्ति संख्या जे-11, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024<br>**रविंद्र कुमार वाधवा** (सह-ऋणी) (प्रोप- राम राज ट्रेडिंग कंपनी), संपत्ति संख्या जे-11, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024 | 609000482342,<br>809002736951 | सम्पत्ति नं. जे-11, द्वितीय तल, सम्पूर्ण द्वितीय तल छत अधिकारों के साथ, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली- 110024 (क्षेत्रफल 200 वर्गगज) | 18.06.2021 | रू. 59,91,324.35 (रूपये उनसठ लाख इकरानवे हजार तीन सौ चौबीस एवं पैंतीस पैसे मात्र) अनुबंध की दरों पर (पूर्णभुगतान होने तक) ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चो के साथ |
| 2. | **जे आर स्पेयर्स इंडिया (जरिये इसके प्रोपराइटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं)** डब्ल्यू-61, फेज-2, मायापुरी, दिल्ली-110045, यहां भी: दुकान संख्या - 7, भूतल, बिना छत अधिकारों के, संपत्ति संख्या -49, रोड -43, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली।<br>मेट्रो क्रेन्स (सह-ऋणी), (प्रोप.- अवनीश महाजन) डब्ल्यू-61, फेज-2, मायापुरी, दिल्ली-110045<br>अवनीश महाजन (सह-ऋणी), 46/44, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110026<br>**मनोहर लाल** (सह-ऋणी), 46/44, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110026<br>**बेला महाजन** (सह-ऋणी), (प्रोप- जे आर स्पेयर्स इंडिया) 46/44, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110026 | 809001810935 | दुकान संख्या - 7, भूतल, बिना छत अधिकारों के, दाये ओर संपत्ति संख्या - 49, रोड -43, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली। | 15.06.2021 | रू. 1,03,36,446.96 (रूपये एक करोड़ तीन लाख छत्तीस हजार चार सौ छियालीस एवं छियानवे पैसे मात्र) अनुबंध की दरों पर (पूर्णभुगतान होने तक) ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चो के साथ |
| 3. | **इशिका प्लास्टिक (जरिये प्रोपराईटर / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं)** संपत्ति संख्या -22, अंबिका सीजीबीएस लिमिटेड, पश्चिम विहार, दिल्ली -110087, यहां भी: प्लॉट नंबर-जे/6, भूतल, पीवीसी मार्केट, टिकरी कलां, प्लॉट नंबर-एमडीकेएक्स036, फायर स्टेशन के पीछे, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली -110041<br>मधु मोहन प्रोप.-इशिका प्लास्टिक, प्लॉट नंबर-जे/6, भूतल, पीवीसी मार्केट, टिकरी कलां, प्लॉट नंबर- एमडीकेएक्स036, दिल्ली -110041, **यहां भी: संपत्ति संख्या -22, अंबिका सीएचबीएस लिमिटेड, पश्चिम विहार,** दिल्ली -110087<br>**जसवंत कुमार बागरी (सह-ऋणी) संपत्ति संख्या** -22, अंबिका सीएचबीएस लिमिटेड, पश्चिम विहार, दिल्ली -110087<br>ऋषि कांत (सह-ऋणी) संपत्ति संख्या- 22, अंबिका सीएचबीएस लिमिटेड, पश्चिम विहार, दिल्ली-110087 | 809002397992,<br>809002760826 | सम्पत्ति संख्या 22, क्षेत्रफल 181.11 वर्गगज जो अम्बिका सीएचबीएस लिमिटेड, पश्चिम विहार से ज्ञात, नई दिल्ली में स्थित। | 15.06.2021 | रू. 4,01,64,175/- (रूपये चार करोड़ एक लाख चौसठ हजार एक सौ पिचहत्तर मात्र) अनुबंध की दरों पर (पूर्णभुगतान होने तक) ब्याज एवं उस पर आकस्मिक खर्चो के साथ |

उपरोक्त ऋणी(यों) तथा उनके जमानतदार(ओं)/बंधककर्ता(ओं) (जो भी लागू होते है) से मांग की जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिवसों के भीतर बकाया राशियों का भुगतान कर देवें, जिसमें चूक होने पर 60 दिवस पूर्ण होने के उपरान्त सरफेसी अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के अंतर्गत आगे के कदम उठाए जायेंगे। **कृपया सूचित रहे कि यह प्रकाशन बैंक के पास उपलब्ध उपचारो एवं अधिकारो के अंतर्गत ऋणीयों/ जमानतदारो/ वंधककर्ताओं को कथित ऋण सुविधा के विरूद्ध कानून के अंतर्गत बिना किसी पक्षपात के किया गया है।**

आपसे अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत आगे यह प्रार्थना की जाती है कि आप सूचित रहे की आप **बिना बैंक की लिखित सहमति के उपरोक्त प्रतिभूत आस्ति में व्यवहार करने या किसी भी अन्य तरीके से विक्रय, पट्टे या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण, निपटारा करने हेतु प्रतिबंधित होंगे।**

प्राधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली दिनांक : 23 जून, 2021

---

# kotak कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

कॉर्पोरेट पहचान सं. L65110MH1985PLC038137). www.kotak.com
पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई-400 051.
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008

## अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सह बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।**

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) तथा/अथवा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (''प्रतिभूत लेनदार'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिस पर प्रतिभूत लेनदार अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, कर्जदार/रों नामतः मैसर्स गोयल ज्वैलरी एण्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) तथा 1. श्री सुशील गोयल, 2. श्री मनीष गोयल, 3. श्री निखिल गोयल, 4. श्रीमती राधा रानी गोयल, 5. श्रीमती मधु गोयल, 6. श्रीमती सुनीता गोयल (जमानती तथा/अथवा बंधककर्ता) से प्रतिभूत लेनदार होने के नाते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के 26 जुलाई, 2017 तक बकाया रु. 21,03,38,840/- (रुपये इक्कीस करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस मात्र) तथा भुगतान/वसूली की तिथि तक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर अनुबन्धात्मक ब्याज पर उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर दिनांक 13 जुलाई, 2021 को बिक्री की जायेगी। नीलामी हेतु रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा नीलामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

| बंधककर्ता/ओं के नाम | ई-नीलामी पर रखी अचल सम्पत्ति का विवरण | ऑनलाइन संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि | ई-नीलामी की तिथि एवं समय | आरक्षित मूल्य (रु.)<br>जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| श्रीमती राधा रानी गोयल तथा श्री सुशील कुमार गोयल | वाणिज्यिक भवन बेसमेंट माप कवर्ड एरिया 1261.45 वर्ग फीट अर्थात 117.19 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 1174.91 वर्ग फीट अर्थात 109.16 वर्ग मीटर) + भूतल माप कवर्ड एरिया 1261.45 वर्ग फीट अर्थात 117.19 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 1174.91 वर्ग फीट अर्थात 109.16 वर्ग मीटर) + प्रथम तल माप कवर्ड एरिया 1046.00 वर्ग फीट अर्थात 97.16 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 920.82 वर्ग फीट अर्थात 85.55 वर्ग मीटर) का सम्पूर्ण भाग, साथ ही स्टिल्ट पार्किंग एरिया में आनुपातिक अधिकार/हिस्सा जो उस सम्पूर्ण भाग का आधा है जो प्लॉट भूमि निगम प्लॉट सं. 2203 से 2205 एवं खसरा नं. 546 तथा 547 पर स्थित है, माप 389 वर्ग गज, साथ ही डब्ल्यूईए, नाईवाला, गली नं. 63 एवं 64, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली के लेआउट प्लान में स्थित उसमें उपलब्ध समस्त वर्तमान एवं भावी अधिकार, स्वामित्व, हित, ईजमेंट, विशेषाधिकार, फिटिंग, फिक्सचर, कनेक्शन, कॉमन ड्राइववे में अधिकार, लिफ्ट (यदि कोई हो), प्रवेश, मार्ग, स्टेयरकेस, वर्तमान तथा भावी विकास अधिकार एवं अन्य कॉमन सुविधाएं तथा सुगमताएं के साथ वर्तमान तथा भावी संरचना। | 12 जुलाई, 2021 को 4.00 बजे अप. तक | 13 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर के बीच | रु. 18,63,00,000/- (रुपये अठारह करोड़ तिरेसठ लाख मात्र)<br>रु. 1,86,30,000/- (रुपये एक करोड़ छियासी लाख तीस हजार मात्र) |

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विशेषाधिकार तथा सम्भावित क्रेताओं से प्राप्त निवेदन पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उपर्युक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था 9 जुलाई, 2021 को 12:00 बजे अप. से 02:00 बजे अप. तक की जायेगी।

**महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:-**

1. ई-नीलामी केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net पर 13 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित संचालित की जायेगी।
2. ई-नीलामी के विवरण हेतु इच्छुक संविदाकार सम्पर्क करें : मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-क्क, सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति राम शर्मा-06351896834, ई-मेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, हेल्पलाइन नं. : 079-61200595/520/548. हेल्पलाइन ई-मेल : support@auctiontiger.net.
3. इच्छुक संविदाकार नीलामी विवरण तथा बिक्री के नियम एवं शर्तों हेतु बैंक की वेबसाइट : https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकारों को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है तथा कथित नियम एवं शर्तें संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले संविदाकारों के लिए बाध्यकारी होंगी।
5. यह निवेदन है कि इच्छुक संविदाकारों को संविदा तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net से लॉगिन आईडी सृजित करना अनिवार्य है।
6. संविदाएँ 12 जुलाई, 2021 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर संविदाकार/रों के केवाईसी दस्तावेजों सहित केवल निर्धारित प्रारूप में जमा/अपलोड की जानी है तथा विधिवत भरे हुए एवं हस्ताक्षरित संविदा दस्तावेज एवं संविदाकार/रों की केवाईसी की स्कैन्ड प्रतियाँ मेल द्वारा gs.pandey@kotak.com तथा batesh.thakur@kotak.com पर भेजी जानी हैं। संविदाकार ई-मेल के विषय खण्ड में ''मैसर्स गोयल ज्वैलरी एण्ड मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में सम्पत्ति की खरीद हेतु'' लिखेंगे।
7. सम्भावित संविदाकार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने तथा ऑनलाइन संविदा प्रक्रिया आदि के लिए मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
8. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 12 जुलाई, 2021 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी राशि जमा किये बिना कोई संविदा स्वतः ही अस्वीकृत हो जायेगी। प्रस्तावित संविदाकार द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
9. जमा की गयी संविदा राशि आरक्षित मूल्य के बराबर/या अधिक होगी और संविदा प्रक्रिया के दौरान जिन्होंने संविदाएँ जमा कर दी हैं वे रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे।
10. यदि संविदा ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही तुरन्त अगले 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा।
11. सफल संविदाकार को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद ई-नीलामी की तिथि पर कार्यालयी घण्टे बन्द होने पर अगले कार्यकारी दिवस पर उपर्युक्त निर्धारित माध्यम से उच्चतम बोली राशि (पहले से प्रदत्त ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा। उच्चतम संविदा राशि का शेष 75% सफल संविदाकार को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि प्रदान करने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक द्वारा ऐसे विस्तारित अवधि तक जो सरफाएशी अधिनियम, 20 02 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर हो, जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री वसूली के भुगतान हेतु समय-सीमा नहीं बढ़ाई जायेगी और किसी भी कारण से निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में असफल होने पर सफल क्रेता का किसी आकस्मिक आपदा के दावा का कोई अधिकार नहीं होगा।
12. उच्चतम बोलीदाता को अपने पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र निर्गत होने तक सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा जो सम्पूर्ण नीलामी राशि एवं अन्य आकस्मिक व्ययों की वसूली के अध्यधीन होगा। बिक्री उस प्रभाव तक ई-नीलामी की शर्तों एवं नियमों तथा प्रतिभूत लेनदार की पुष्टि के अध्यधीन होगी।
13. यदि सफल संविदाकार सम्पूर्ण संविदा/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता संविदाकार का न तो सम्पत्ति और न ही जमा की गयी राशि पर कोई दावा होगा। अधिकृत प्राधिकारी को नीलामी की सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के नियम एवं शर्तों के तहत उसे उपलब्ध एक या एक से अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता है।
14. उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर अधिकृत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे, इसके पश्चात बिक्री पूरी हो जायेगी और कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जायेगा जिस नाम से संविदा जमा की गयी है। संविदा में उल्लिखित व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम बिक्री प्रमाणपत्र में समाविष्ट/प्रतिस्थापित करने हेतु कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. असफल संविदाकार/रों की ईएमडी राशि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में बिना किसी ब्याज के 10 (दस) दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी।
17. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी संविदा का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। संविदा जमा करने के बाद ई-नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की स्थिति में, संविदाकारों द्वारा जमा की गयी ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी और संविदा अस्वीकार करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी किसी भी संविदाकार या अन्य पक्षों से निजी संधि द्वारा सम्पत्ति की बिक्री हेतु मोल-भाव कर सकते हैं।
18. यदि नीलामी के तहत कोई संविदाकार 1 से अधिक सम्पत्ति की बोली लगाने का इच्छुक है तो संविदाकार को उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करके प्रत्येक सम्पत्ति हेतु अलग से संविदाएँ जमा करनी होंगी।
19. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के सर्वोत्तम जानकारी पर कहे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
20. बैंक के संज्ञान में माननीय डीआरटी-क्क्क दिल्ली के समक्ष 2017 की एस.ए. सं. 388 की पेंडेंसी को छोड़कर किसी अन्य ऋणभार के विषय में जानकारी नहीं है तथा आज की तिथि तक कथित सम्पत्ति की नीलामी पर कोई रोक नहीं है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, लिएन, ऋण भार अथवा सरकार या किसी अन्य के बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकायों, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के ऋण भार से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है।
21. पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी विधिक बकाये/अन्य बकाये क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
22. वर्तमान सूचना के तहत नीलामी-सह-बिक्री पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण प्रभार/शुल्क सहित सभी बाह्य प्रभार जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली एवं पानी के प्रभार तथा अन्य बकाये केवल सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
23. सभी अन्य आकस्मिक प्रभार (वर्तमान नीलामी के तहत सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रतिभूत प्रभार अथवा रखरखाव प्रभार सहित किन्तु सीमित नहीं) बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एकमात्र उच्चतम संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे, जिसे बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से पूर्व बैंक को निस्तारित/प्रतिपूर्तित करना होगा। हालाँकि अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक से भविष्य में बिना किसी अनुगामी समायोजन के तर्कपूर्ण एवं उपयुक्त विलम्ब में छूट दी जा सकती है।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार यदि बिक्री वसूली रु. 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) या इससे अधिक की है तो इस पर टीडीएस प्रयोज्य होगा। सफल संविदाकार/क्रेता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में बिक्री मूल्य से प्रयोज्य टीडीएस घटायेगा और इसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पास टीडीएस जमा करने के प्रमाण का चालन तथा प्रपत्र 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा।
25. सम्पत्ति की बिक्री इसमें उल्लिखित के अनुसार नियम एवं शर्तों पर ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी को नियम एवं शर्तों में किसी को भी परिवर्तित करने का पूर्ण विशेषाधिकार होगा। संविदाकारों को सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी ऋणभार, उपरजिस्ट्रार कार्यालय तथा राजस्व रिकार्ड एवं निगम रिकार्ड तथा अन्य प्रशासनिक सरकारी रिकार्ड की खोजबीन करने की सलाह दी जाती है और वे संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति की प्रकृति तथा विवरण, दशा, किसी ऋणभार, लिएन, प्रभार, विधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। कृपया ध्यान दें कि नीलामी के तहत सम्पत्ति/यों/आस्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के सम्बन्ध में बैंक/अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार कोई गारंटी या कोई प्रतिनिधान नहीं देते हैं। बिक्री/नीलामी दृढ़ता से एवं उपचार रहित आधार पर होगी।
26. बैंक द्वारा समस्त लागतों, प्रभारों तथा उन पर या उसके अंश पर जो बैंक को स्वीकार्य हो, किये गये व्ययों सहित बकाये विक्रय हेतु निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व किसी भी समय कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा/उनकी ओर से अदा कर दी जाती है तो आस्ति की नीलामी/बिक्री निरस्त की जा सकती है। अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए यदि अस्वीकार्य प्रतीत हो तो किसी संविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार्य होने पर समस्त संविदाओं को अस्वीकार करने, विलम्बित/निरस्त/स्थगित/अनिरन्तर करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।
27. यह माना जायेगा कि संविदाकार ने विक्रय के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह कथित नियमों एवं शर्तों से बाध्य है।
28. संविदाकारों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉवर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बैंक इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर अथवा तकनीकी कारणों या ई-नीलामी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
29. कोटक महिन्द्रा बैंक अथवा इसके कर्मचारी विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति से किसी दावे हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।
30. यह सूचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.kotak.com पर भी अपलोड है और इच्छुक पार्टियाँ इसे देख भी सकती हैं।
31. अधिक विवरण के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी बतेश ठाकुर (मोबाइल नं. 9953690994) तथा बैंक अधिकारी श्री विनोद बहरानी (मोबाइल नं. +91-9810004107) तथा श्री विपुल दुबे (मोबाइल नं. +91-8377905113) से सम्पर्क कर सकते हैं।

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) तथा 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक विक्रय सूचना**

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज तथा व्ययों सहित देयताओं को पूर्ण भुगतान करने तथा उपर्युक्त बकायों का इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर ''प्रतिभूत आस्ति'' (ऊपर उल्लिखित) की बिक्री उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कर दी जायेगी। यदि अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार-पत्र को स्थानीय भाषा के समाचार-पत्र पर वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा, इस प्रकार अस्पष्टता दूर हो जायेगी।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 21 जून, 2021
अधिकृत प्राधिकारी, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

---

# जुलाई से कोविन पर देंगे टीके का आर्डर

**सोहिनी दास**
मुंबई, 22 जून

अगले महीने की पहली तारीख से अस्पताल सीधे कोविन प्लेटफार्म पर कोविड-19 टीके की खुराकें बुक कर पाएंगे और इस पर ही अग्रिम राशि का भुगतान भी कर पाएंगे। यह जानकारी विभिन्न निजी अस्पताल के सूत्रों ने दी है।

हालांकि, कोई अस्पताल कितनी मात्रा में खुराकें बुक कर सकता है यह टीकाकरण के उसके पिछले रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा।

देश भर से कई निजी अस्पतालों ने रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की थी। मंत्रालय ने अस्पतालों को सूचित किया है कि जुलाई से टीके के लिए आर्डर देने और खरीद के लिए एकल खिड़की व्यवस्था की जाएगी। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सिन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को शामिल किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मुख्य कार्याधिकारी और कोविड के प्रमुख आर एस शर्मा और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से इस बाबत टिप्पणी लेने के लिए संपर्क नहीं हो पाया।

मंगलवार को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 जांच के लिए यात्री का स्वैब लेती स्वास्थ्य कर्मी -पीटीआई

रविवार को हुई बैठक में उपस्थित रहे दक्षिण भारत में स्थित अस्पताल श्रृंखला के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा, 'नई प्रणाली के मुताबिक अस्पताल कोविन पर अपना आर्डर या अपनी जरूरत के बारे में बताएंगे। उन्होंने पिछले सात दिनों में जितनी खुराकें लगाई है उससे दोगुनी मात्रा के लिए आर्डर दे पाएंगे।'

कोविन के बैकएंड पर प्रत्येक स्थल पर हरेक दिन होने वाले टीकाकरण से संबंधी आंकड़े होते हैं जिससे पिछले हफ्ते में किसी अस्पताल द्वारा किए गए टीकाकरण की संख्या का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। यदि किसी अस्पताल ने कम संख्या में टीकाकरण किया है तो उन्हें बड़ी संख्या में आर्डर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यकारी ने कहा, 'कोई अस्पताल पूरे महीने की खुराक के लिए आर्डर दे सकता है जो कि उसके रोजाना टीकाकरण दर पर निर्भर करेगा, लेकिन आपूर्ति तीन बार में की जाएगी।'

उन्होंने कहा कि सरकार देश भर के निजी अस्पतालों में टीकों का समान वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही थी और देश के दूरदराज क्षेत्रों में टीकों को पहुंचाने के लिए जोर शोर से इसकी जरूरत बताई जा रही थी। इस एकल खिड़की व्यवस्था से छोटे शहरों और कस्बों में स्थित छोटे निजी अस्पताल भी टीके की खुराक के लिए आर्डर दे पाएंगे।

मुंबई स्थित एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ कार्यकारी ने स्पष्ट किया कि केंद्र ने किसी अस्पताल के लिए न्यूनतम सात दिन और अधिकतम 14 दिन की भंडारण का संकेत दिया है।

उन्होंने कहा, 'अब तक हमें बताया गया है कि खुराकें टीका निर्माताओं से मिलेंगी हालांकि, यदि लॉजिस्टिक संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इस वितरण में फेरबदल किया जा सकता है।'

उदाहरण के लिए टीका निर्माता खुराकों की आपूर्ति जिला कोल्ड चेन केंद्र पर कर सकते हैं। जिला प्रशासन या निगम निकाय अपने कोल्ड चेन केंद्रों में इसे रख सकते हैं जहां से अस्पताल इसे हासलि कर सकते हैं।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही शहर स्थित निजी अस्पतालों से अपेक्षित जरूरत को लेकर आंकड़े जुटा लिए हैं। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि निगम निकाय कुल मांग को लेकर एक सूची तैयार कर नहा है जिसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा जो आगे केंद्र को भेजेगी।

### टीके के लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था

- निजी अस्पताल कोविन प्लेटफॉर्म पर अग्रिम रकम का भुगतान कर सकते हैं
- आर्डर एक महीने से अधिक के लिए नहीं हो सकता है
- आर्डर की अनुमति पुराने टीकाकरण की दर पर निर्भर करेगा
- अस्पतालों को पिछले 7 दिनों में इस्तेमाल की गई मात्रा से दोगुना आर्डर देने के लिए कहा गया है
- अस्पतालों के बीच बराबर मात्रा में वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए नियोजित ढंग से बढ़ें आगे

# प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम बढ़ाएंगे अनुपालन बोझ

**नेहा अलावधी और श्रेया नंदी**
नई दिल्ली, 22 जून

**उपभोक्ता मामलों** के विभाग की ओर से प्रस्तावित नए ई-कॉमर्स नियम का असर स्विगी, जोमैटो, बिग बॉस्केट सहित कुछ अन्य क्षेत्रों कंपनियों पर पड़ेगा। इससे कंपनियों का अनुपालन बोझ बढ़ेगा।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि टैक्सी सेवा प्रदाताओं जैसे ओला, उबर और फूड एग्रीगेटरों जैसे जोमैटो, स्विगी, ऑनलाइन किराना स्टोर जैसे बिग बॉस्केट सहित अन्य कई कंपनियां प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण नियम के दायरे में आएंगे।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्राहर संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में बदलाव का प्रस्ताव किया है। मसौदे के मुताबिक ये नियम 'डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर बेचे जाने वाली सभी वस्तुओं व सेवाओं और डिजिटल उत्पादों पर लागू होंगे।' मंत्रालय ने सोमवार को संबंधित हिस्सेदारों से इस पर 6 जुलाई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है।

इस व्यापक परिभाषा के बारे में उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, 'एमेजॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर नेटफ्लिक्स, उबर, ओला सहित सभी कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी। कोई भी चीज ऑनलाइन बेचने वाले ई-कॉमर्स के रूप में वर्गीकृत होंगे।'

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'ई-कॉमर्स नियम सभी कंपयिनों पर लागू होंगे, चाहे व घरेलू हों या एफडीआई।'

मसौदा नियमों का अधध्यन कर रहे उद्योग के बीच चिंता का विषय यह है कि ई-टेलर्स का उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा, जो इन कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए नियामकीय अनुपालन बढ़ाने की कवायद होगी। इसका यह मतलब हो सकता है कि उपरोक्त उल्लिखित कंपनियों को, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचती हैं, उन्हें डीपीआईआईटी में पंजीकरण कराना होगा।

उद्योग के अधिकारियों ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा कि यह नियम व्यक्तिगत व्याख्याओं के अधीन होंगे। उन्होंने कहा 'फालबैक लाइबिलिटी' और 'मिल सेलिंग' की परिभाषाएं समस्या पैदा करने वाली हैं।

- उद्योग जगत ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का मसौदा ई-कॉमर्स नियम अस्पष्ट
- मार्केटप्लेस, इन्वेंट्री आधारित ई-कॉमर्स मॉडलों, एग्रीगेटरों, फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी जगहों पर खरीद व बिक्री गतिविधियों पर लागू होंगे नियम

## ई-कॉमर्स की फ्लैश सेल के खुलासे की मांग नहीं होगी

**श्रेया नंदी**
नई दिल्ली, 22 जून

**एक वरिष्ठ** सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से आयोजित फ्लैश सेल से संबंधी खुलासा करने की मांग या उनका नियमन नहीं करेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ग्राहकों के हित में छूट पर बिक्री जारी रहेगी, लेकिन 'धोखाधड़ी' और 'एक के बाद एक' छूट वाली बिक्री नहीं हो सकती क्योंकि इससे साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और छोटे कारोबारी गैर प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को इस तरह की छूट पर बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के दाम बहुत ज्यादा कम दाम पर और भारी छूट पर मुहैया कराई जाएं। खरे ने कहा कि फ्लैश सेल सामान्य छूट पर बिक्री नहीं है, बल्कि अलग तरह की बिक्री है।

# सुधार से जुड़ा राज्यों का उधारी मॉडल : प्रधानमंत्री

**संजीव मुखर्जी**
नई दिल्ली, 22 जून

**प्रधानमंत्री** नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सार्वजनिक वित्त के नए मॉडल के तहत राज्य सरकारों को 2020-21 में उनकी सालाना उधारी सीमा से ज्यादा कर्ज की अनुमति तभी होगी, जब वे कुछ तय सुधारों को लागू करें। उन्होंन कहा कि नए मॉडल में यह सुधारों का बेहतरीन उदाहरण है, जिसके तहत विश्वास व प्रोत्साहनों के साथ सुधार जुड़े होंगे।

नौकरियों की तलाश वाली वेबसाइट लिंक्डइन पर पोस्ट किए गए एक ब्लॉग में मोदी ने कहा कि भारत ने चुपके से और मजबूरी में सुधार का मॉडल देखा है... यह विश्वास व प्रोत्साहनों के माध्यम से सुधार का नया मॉडल है। मोदी ने ब्लॉगपोस्ट में लिखा है, 'अतिरिक्त धन के एवज में प्रगतिशील राजनीति अपनाने के लिए यह राज्यों को एक प्रोत्साहन था। इस कवायद का परिणाम न सिर्फ उत्साहजनक है, बल्कि इस धारणा के विपरीत है कि मजबूत आर्थिक राजनीति को चाहने वाले सीमित हैं।'

चार सुधारों का उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि प्रत्येक सुधार को जीवन की सुगमता में सुधार से जोड़ा गया, जो खासकर अत्यंत गरीब और हाशिये पर खड़े लोगों और मध्य वर्ग के लिए था और साथ ही इससे राजकोषीय सततता को प्रोत्साहन मिला। इसके तहत राज्यों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी का पात्र माना गया था।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जन कल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना और सततता बड़ी चुनौतियों में से एक है।' उन्होंने कहा कि केंद्र-राज्य भागीदारी के माध्यम से 2020-21 में राज्यों को 1.06 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में मदद मिली है।

# बढ़ रहा बॉक्साइट का आयात

**विश्व के** पांचवें बड़े बॉक्साइट भंडार वाले देश भारत की बॉक्साइट आयात पर निर्भरता बनी हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। इंडियन इंडस्ट्रियल वेल्यू चेन कलेक्टिव (आईआईवीसीसी) ने बताया कि वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 10 जून तक देश में कुल 5.197 करोड़ डॉलर (390 करोड़ रुपये) के बॉक्साइट का आयात हुआ है। *बीएस*

## बीएस सूडोकू 4081

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | 8 |  |  | 6 |
| 5 |  |  | 6 |  | 3 | 4 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 9 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 1 | 8 | 4 |  |
|  |  | 5 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 9 |  |  | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |

## परिणाम संख्या 4080

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 9 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 4 | 8 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 |

**कैसे खेलें?** हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

## क्षेत्रीय मंडियों के भाव दिल्ली | उत्तर प्रदेश

**दिल्ली**

दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 45 रुपये की मामूली तेजी के साथ 46,213 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले दिन सोना 46,168 रुपये पर बंद हुआ था। इसके विपरीत चांदी 86 रुपये की गिरावट के साथ 66,389 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले दिन बंद भाव 66,475 रुपये था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,778 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा था जबकि चांदी 25.84 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित थी।

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

**लखनऊ**

गेहूं दड़ा 1620/1625, गेहूं शरबती 2550/2650, चावल शरबती सेला 3950/4000, स्टीम 4700/4800, लालमती 3550/3600, चावल (सोना) 3300/3350, दाल अरहर सवा नं. 8300/8400, पटका 9500/9700, रिजैवशन 7000/7100, चना दाल 6200/6300, चना देशी छना 5900/6000, चना चापा छना 6000/6100, एग्रो प्योर बेसन 2460, मटर विदेशी 7500/7600, उड़द साबुत (काला)7700/8350, दाल उड़द (काली) 8000/9400, उड़द धोया 8200/9600, मसूर छोटी 6400/6800, मलका 6900/7000, किरानाः जीरा 14500/14700, लालमिर्च गुंटूर 13000/17000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 4400/4600, धनिया एमपी 8500/11500, छोटी इलायची (किलो) 1300/1800, बड़ी इलायची 570/660, कालीमिर्च (किलो) 520/620, सुपारी (किलो) 445/500, सौंफ मोटी 7500/9800, मंगरैल 22000/23000, चिरौंजी (किलो) 950/1020, मखाना 540/700

**कानपुर**

गेहूं लूज 1625/1630, जौ 1600/1650, चावल मसूरी 2000/2100, चावल मोटा 1900/1950, देशी चना 5250/5300, चना छना 5600/5700, दाल चना 5900/6000, विदेशी मटर 7400/7425, पिचकी 4000/4100, मटर दाल 6600/7600,अरहर लेमन 6550/6600, दाल अरहर 8900/9100, स्पेशल 7800/7900,उड़द एसक्यू 7350/7400, एफएक्यू 6800/6850, राजमा चित्रा 10300/11700, मूंग 5800/6000, मसूर छोटी 6500/6900, छांटी 7000/7200, सरसों 6600/6700, तिल सफेद 9500/9600, सोया (टीन) 2300/2350, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)2400/2500, सरसों खल 3100/3150, पामोलिन 2240/2260, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 2000/2050, मधुसूदन देशी घी 6100, वासुदेव 5850, परम प्रीमियम 6400, पदम श्री 6100, अलसी 7300/7500, धनियाः लोकल 7700/7800, राजस्थान 8000/8100, बढ़िया 9000/9900, हल्दी 8500/9600, जीरा 14300/16600, अजवायन 15000/18500, मेथी 6200/6500, मखाना 550/750, कालीमिर्च (किलो) 570/640, लालमिर्च (किलो) तेजा 160/180, (334) न. 130/140, सुपारी (किलो) केरल 480/500, कर्नाटक चिकनी 460/470, गोला 20000/21500

**चंदौसी**

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1140, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1190, फ्लैक 1135, डीएमओ 890, टरपीन लैस बोल्ड 1215

**मुजफ्फरनगर**

गुड़ (40 किलो): चाकू (कोल्ड) 1180/1225, रसकट 1040/1060, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3270, सिहोरा 3200, देवबंद 3200, थाना भवन 3210, बुढ़ाना 3220, शामली 3190, चीनी हाजिर 3500/3600

**हापुड़**

अनाज-दाल: गेहूं 1745/1750, चावल परमल 2250/2300, डुप्लीकेट बासमती सेला 5000/5100, बासमती 1121 स्टीम 6400/6500, चना 5300/5350, चनादाल 6000/6100, काबली चना 7200/8800, राजमा देशी चित्रा 10000/11500, मटर दाल 6200/6300, दाल अरहर 8800/9800, मसूर 6200/6500, उड़द देसी 6900/7000, दाल उड़द 7400/8400, धोया 8400/9400, मूंग यूपी 6800/6900, मूंग दाल 8000/9000, गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3500/3600, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 6950/7000, खलः सरसों 2900/3000, बिनौला 3750/3850, चना छिलका 2250/2350, चोकर मोटा (34 किलो) 670/675 *एनएनएस*